20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 | 5रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5

विलोपित

श्री डी.एस.चौहान एड. द्वारा आज दि. 3/10/15 को प्रस्तुत

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

(73)

राजस्व पुनरीक्षण क्र०

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

निग / 3237 / PBR / 15

१- बद्रीलाल पिता गणपतजी खाती

२- सूर्यनारायण पिता गणपतजी खाती

दोनों निवासी ग्राम कदवाली बुजुर्ग,

तहसील सांवेर, जिला इन्दौर — प्रार्थीगण

विरुद्ध

१- श्रीमती कान्ताबाई पति रामगोपाल खाती

निवासी ग्राम कदवाली बुजुर्ग, तहसील

सांवेर, जिला इन्दौर

२- श्रीमती लीलाबाई पति श्रीराम खाती

निवासी ग्राम पीपल्या सड़क, तहसील

सोनकच्छ, जिला देवास

३- श्रीमती श्यामूबाई पति बाबूलाल खाती,

निवासी ग्राम ब्राम्हणखेड़ी, तह० सांवेर

४- श्रीमती कमलाबाई पति जगन्नाथ खाती

निवासी ग्राम करंजखेड़ा, तहसील व

जिला सीहोर

५- श्रीमती गंगाबाई पति श्रीराम खाती

निवासी ग्राम पिड़ावद, तह० सोनकच्छ

जिला देवास — अनावेदकगण

वाद : बंटवारे बाबद

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता

श्री अपर तहसीलदार, तहसील सांवेर, टप्पा क्षिप्रा द्वारा राजस्व प्रकरण क्र० ३८अ-२७/२०१२-१३ में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक २४/०६/२०१५ से असन्तुष्ट एवम् दुखित होकर प्रार्थीगण यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर, नियत अवधि में, योग्य मुद्रांकों पर सादर प्रस्तुत करते हैं :-

D. S. Chauhan
डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

3945
श्रीमती भगवती शर्मा
8-10-15
शपथ आयुक्त
ग्वालियर

Singh
pd.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3237-पीबीआर/15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री दिनेश कारपेंटर, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री डी.एन. जोशी, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । शेष अनावेदकगण को सूचना दिया जाये । रीडर अध्यक्ष	